



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या-50/2023

U/S 46(1-b) of CNT Act

शिवदयाल राम एवं अन्य

बनाम्

बबलू कुमार

-: आदेश :-

वर्तमान वाद की प्रक्रिया शिवदयाल राम व राम दयाल राम दोनों के पिता-बालेश्वर राम, सा0-स्टेशन रोड, लातेहार पो0+थाना+जिला-लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के तहत क्रेता बबलू कुमार, पिता-स्व0 रामदेव राम, सा0-अम्वाटीकर, पो0+थाना+जिला-लातेहार के साथ मौजा-कोमो अंचल-लातेहार, खाता संख्या-31, प्लॉट संख्या-16 रकबा-0.03 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक-354 दिनांक 30.04.2024 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, लातेहार के पत्रांक-354 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा-कोमो अंचल-लातेहार, खाता संख्या-31, प्लॉट संख्या-16 रकबा-0.03 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि आवेदक की रैयती भूमि है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री के पश्चात् आवेदकगण के पास रकबा-1.14 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि शेष बचता है, जिससे विक्रेतागण भूमिहीन के श्रेणी में आ जायेंगे। उक्त आलोक में अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा आवेदकगण के

10/10

अनुमति वाद को अस्वीकृत करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, लातेहार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसा के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1)(बी) के अंतर्गत विक्रेता शिवदयाल राम व राम दयाल राम दोनों के पिता-बालेश्वर राम, सा0-स्टेशन रोड, लातेहार पो0+थाना+जिला-लातेहार द्वारा क्रेता बबलू कुमार, पिता-स्व0 रामदेव राम, सा0-अम्वाटीकर, पो0+थाना+जिला-लातेहार के साथ मौजा-कोमो अंचल-लातेहार के खाता संख्या-31, प्लॉट संख्या-16 रकबा- $0.03\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि बिक्री अनुमति हेतु दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजे तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
लातेहार।


उपायुक्त,
लातेहार।